

भारत सरकार
कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय
राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2845

उत्तर देने की तारीख 12 अगस्त, 2026

बुधवार, 21 श्रावण, 1948 (शक)

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) में कथित अनियमितताएं

2845. श्री प्रमोद तिवारी:

क्या कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) ने कथित अनियमितताओं के लिए अपने कर्मचारियों के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई की है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक ने वर्ष 2015-22 की अवधि की अपनी कार्य-निष्पादन लेखा-परीक्षा में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) में बड़ी खामियों को इंगित किया है;

(घ) यदि हाँ, तो योजना के लागू होने में डेटा इंटीग्रिटी संबंधी मुद्दे और कमजोर सत्यापन तंत्रों जैसी समस्याओं सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड.) खराब निगरानी और निरीक्षण की समस्या से निपटने तथा दिशा-सुधार और जवाबदेही के उपाय शुरू करने के लिए एनएसडीसी द्वारा कौन-से कदम उठाये जाने हेतु प्रस्तावित हैं?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री जयन्त चौधरी)

(क) एवं (ख) राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) की स्थापना कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 (वर्तमान में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के अनुरूप) के अंतर्गत एक गैर-लाभकारी सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी के रूप में की गई है। यह कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) के अधीन एक अनूठे सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल पर संचालित होता है, जिसमें 49% शेयर पूंजी सरकार के पास और 51% निजी क्षेत्र के पास है। एनएसडीसी के किसी भी प्रशासनिक निर्णय के लिए सर्वोच्च प्राधिकरण एनएसडीसी का निदेशक मंडल है। एनएसडीसी बोर्ड/प्रशासन को संगठन के शासन ढांचे और स्थापित प्रक्रियाओं के अनुसार निर्णय लेते हैं।

एनएसडीसी ने सूचित किया है कि "प्रधानमंत्री कौशल विकास स्कीम के अंतर्गत कौशल विकास" के संबंध में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) द्वारा अपनी रिपोर्ट संख्या पीए 20/2025 में उजागर की गई कमियों की जांच के लिए एक समिति का गठन किया गया है और इस मामले से जुड़े कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं।

(ग) से (ड) सरकार कार्यान्वयन को सुदृढ़ करने, परिणामों में सुधार लाने और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए अपनी स्कीमों और कार्यक्रमों का नियमित रूप से लेखापरीक्षा और मूल्यांकन करती है। इसी संदर्भ में, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) ने प्रधानमंत्री कौशल विकास स्कीम (पीएमकेवीवाई) पर एक कार्यनिष्पादन लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रकाशित की है, जिसमें स्कीम के पहले तीन चरणों (2022 तक) को शामिल किया गया है। यह रिपोर्ट https://cag.gov.in/webroot/uploads/download_audit_report/2025/Report-No.-20-of-2025_PA-PMKVY_English-PDF-A-06943abec463479.68516873.pdf में उपलब्ध है। इसमें डेटा सत्यापन, लाभार्थी ब्यौरा, मूल्यांकनकर्ता की जानकारी, पात्रता सत्यापन और निगरानी प्रक्रियाओं से संबंधित कुछ विचलनों की ओर इशारा किया, जो काफी हद तक उस समय प्रचलित आईटी नियंत्रणों की सीमाओं और विकेंद्रीकृत कार्यान्वयन के कारण थे। इस प्रकार कार्यक्रम के क्रियान्वयन को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए बहुमूल्य सुझाव प्राप्त होंगे।

प्रशिक्षण की गुणवत्ता, जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ाने के अपने निरंतर प्रयासों के तहत, एमएसडीई ने कई प्रणालीगत, परिचालन और आईटी-आधारित सुधार लागू किए हैं। इन उपायों का उद्देश्य निगरानी को सुदृढ़ करना, लाभार्थियों की प्रामाणिकता सुनिश्चित करना और कौशलीकरण प्रणाली के समग्र संचालन में सुधार करना है। इन सुधारों के अंतर्गत, सभी हितधारकों के लिए आधार-आधारित ई-केवाईसी लागू किया गया है, साथ ही उम्मीदवारों और प्रशिक्षकों दोनों के लिए एईबीएस के माध्यम से बायोमेट्रिक उपस्थिति और सत्यापित लाभार्थी खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) की व्यवस्था की गई है ताकि वित्तीय सहायता इच्छित प्राप्तकर्ताओं तक पहुंच सके। वास्तविक समय की निगरानी में सुधार के लिए, स्किल इंडिया डिजिटल हब (सिद्ध) पर एक लाइव उपस्थिति डैशबोर्ड उपलब्ध कराया गया है। इसके अतिरिक्त, सत्यापन तंत्र को और सुदृढ़ करने के लिए उम्मीदवारों, प्रशिक्षकों और मूल्यांकनकर्ताओं के लिए चेहरे की पहचान और जियो-टैग वाली उपस्थिति अनिवार्य कर दी गई है। प्रशिक्षण प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या अनियमितता का पता लगाने के लिए स्वचालित अलर्ट के साथ सिस्टम को और बेहतर बनाया जा रहा है। प्रमाणपत्रों की प्रामाणिकता और पता लगाने की क्षमता बनाए रखने के लिए, क्यूआर-कोड वाले डिजिटल प्रमाणपत्र शुरू किए गए हैं। रोजगार परिणामों और दीर्घकालिक प्रभाव की निगरानी के लिए अब उम्मीदवारों की प्रमाणन के बाद की ट्रेकिंग सिद्ध के माध्यम से की जाती है। इसके अलावा, प्रशिक्षण की पूरी प्रक्रिया के दौरान सेंट्रल कम्युनिकेशन लेयर (सीसीएल) के माध्यम से उम्मीदवारों की प्रतिक्रिया प्राप्त की जा रही है, जिससे प्रशिक्षण प्रदान करने में निरंतर सुधार सुनिश्चित होता है।

इसके अलावा, सरकार ने संपूर्ण इको सिस्टम में जवाबदेही और अनुपालन को सुदृढ़ करने के लिए व्यापक उपाय किए हैं। इन उपायों में शामिल हैं: जहां भी नियमों का पालन न होने की पुष्टि हुई है, वहां निलंबन, ब्लैकलिस्टिंग और धन की वसूली सहित अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है, जिससे स्कीम के तहत सुदृढ़ जवाबदेही, सत्यापन और निगरानी तंत्र को संस्थागत रूप दिया गया है।